

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 296 / एफ 2017-41-03685 / वि / नि / चार नया रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2018
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:-दिनांक 1.1.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों/परिवार पेंशन भोगियों की
पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण

राज्य शासन द्वारा दिनांक 1.1.2016 के पूर्व के शासकीय पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को
देय पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण का निर्णय लिया गया है। पेंशन/परिवार पेंशन का
पुनरीक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (1) पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण, विद्यमान मूल पेंशन (पेंशन सारांशीकरण के
पूर्व)/परिवार पेंशन को 2.57 के गुणक से गुणा करके तथा इस प्रकार से प्राप्त राशि
को आगामी रूपये में पूर्णांकित कर किया जायेगा। उक्त गणना हेतु विद्यमान मूल
पेंशन/परिवार पेंशन में मंहगाई राहत शामिल नहीं होगी। यह पुनरीक्षण दिनांक
1.4.2018 से प्रभावी किया जाए।
- (2) पुनरीक्षित पेंशन में सारांशीकरण की राशि, यदि कोई शामिल हो तो मासिक संवितरण
के समय इस राशि से सारांशीकरण की राशि को कम किया जायेगा।
- (3) पेंशन/परिवार पेंशन की न्यूनतम राशि रूपये 7750/- प्रतिमाह होगी।
- (4) वृद्ध पेंशनर/परिवार पेंशनरों के लिए निर्धारित पेंशन की वर्तमान व्यवस्था यथावत लागू
रहेगी।
- (5) सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम/स्वशासी संस्था में स्थाई संविलियन के पश्चात् राज्य
शासन से अलग से पेंशन एवं परिवार पेंशन प्राप्त होने की स्थिति में पेंशन/परिवार
पेंशन का पुनरीक्षण उपरोक्तानुसार किया जायेगा।
- (6) ऐसे प्रकरणों में जहाँ शासकीय सेवक द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम/स्वशासी संस्था
में स्थाई संविलियन पर शत-प्रतिशत पेंशन को समर्पित करते हुए एकमुश्त राशि प्राप्त
कर ली गई है तथा उसके पेंशन के 1/3 हिस्से के प्रत्यावर्तन का लाभ प्राप्त हुआ है,
के मामले में पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में पृथक से निर्णय लिया
जायेगा।

//2//

2/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से पेंशन/परिवार पेंशन आहरित कर रहे राज्य शासन के पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की पेंशन/परिवार पेंशन भुगतान शाखा (Paying Branch) द्वारा किया जावेगा तथा भुगतान योग्य राशि की प्रविष्टियों पेंशन भुगतान आदेश के दोनों भागों में की जावेंगी। कोषालयों/उपकोषालयों से पेंशन/परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण संबंधित पेंशन संवितरक अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

3/ पेंशन संवितरण अधिकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक भुगतान शाखा, परिवार पेंशन को पुनरीक्षित करते समय सूक्ष्मता से जाँच करें कि परिवार पेंशन की बढ़ी हुई दर की तिथि के बाद भी यदि भुगतान बढ़ी दर से हो रहा हो तो परिवार पेंशन का भुगतान सामान्य दर से करें तथा अधिक भुगतान राशि को एरियर्स/राहत से समायोजित करें।

4/ पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन का भुगतान माह अप्रैल 2018 की पेंशन (भुगतान मई 2018) से किया जाए। पुनरीक्षित पेंशन पर सातवें वेतनमान में स्वीकृत मंहगाई राहत दी जावे। पेंशन/परिवार पेंशन पर देय मंहगाई राहत के आदेश पृथक से जारी किए गए हैं।

5/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की भुगतान शाखा (Paying Branch) द्वारा पुनरीक्षित की गई पेंशन/परिवार पेंशन के 10 प्रतिशत प्रकरणों का test audit संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन/जिला कोषालय अधिकारी द्वारा किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(
(एस.के. चक्रवर्ती) 06/07/2018
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220
5. सचिव, लोक आयोग / छ.ग., लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
7. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
10. संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर
11. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, नया रायपुर
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
13. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
14. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, छ.ग.
16. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
18. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी / पेशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़
20. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नर्मेंट एण्ड बैंक एकाउण्ट डिपार्टमेंट्स, सी-7, बान्द्रा-कुला काम्प्लेक्स, पोस्ट बैग नं. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई 400051
21. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़
22. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर, गुजरात 382010
23. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
24. वित्त सचिव, असम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001
25. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001
26. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002
27. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम 695039

28. वित्त सचिव, तमिलनाडु शासन, मंत्रालय, चेन्नई 600018
29. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020
30. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैगलोर 560001
31. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर 751001
32. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
33. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003
34. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001
35. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001
36. वित्त सचिव, पश्चिम बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता 700001
37. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001
38. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001
39. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001
40. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा 797001
41. वित्त सचिव, मेघालय शासन, मंत्रालय, शिलोग 793001
42. वित्त सचिव, मिजोरम शासन, मंत्रालय, एजवाल 796001
43. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 717101
44. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून 248001
45. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004
46. वित्त सचिव, तेलंगाना शासन, मंत्रालय, हैदराबाद 500001
47. वित्त सचिव, हरियाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160017
48. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001
49. वित्त सचिव, गोवा दमन एवं दीव शासन, मंत्रालय पणजी, गोवा 403101
50. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, 5वी मंजिल, सी-ब्लाक, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001
51. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, राजकोट 360001
52. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463
53. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद 500463
54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, मिजोरम, अस्सीचल प्रदेश, शिलांग 793001
55. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001
56. प्रधान महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना 800001
57. प्रधान महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा, पो. रांची 834002
58. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल, पो. बाक्स नं. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695039
59. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
60. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडु, चेन्नई 600018
61. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400020

62. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440000
63. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बैगलोर 560002
64. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उडीसा, भुवनेश्वर 751001
65. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंडीगढ़ 160017
66. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, चंडीगढ़ 160047
67. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोर्टन कंसल भवन शिमला 171003
68. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग जयपुर 302001
69. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक) उत्तरप्रदेश, लखनऊ 226001
70. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद 211001
71. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल, ट्रेजरी विल्डिंग, कोलकाता 700001
72. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001
73. महालेखाकार (लेखा एवं हक) त्रिपुरा, अगरतला 799001
74. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैण्ड, कोहिमा 797001
75. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लाकार भवन, गंगटोक 717101
76. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखण्ड, देहरादूर 248001
77. संचालक, लेखा (पेशन शाखा) गोवा, दमन दीव, पोस्ट पणजी, 403101
78. महालेखागार (लेखा एवं हक.) मध्यप्रदेश ग्वालियर 474001
79. वेतन एवं लेखाधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, पोर्टब्लेयर 744011
80. वेतन एवं लेखाधिकारी, तीस हजारी, दिल्ली 110006
81. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली
82. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली
- को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु
83. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु



संयुक्त सचिव
वित्त विभाग